



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]
No. 408]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 1989/श्रावण 12, 1911
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1989/SRAVANA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1989

सा.का.नि. 638 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम,
1985 (1985 का 13) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए एतद्वारा, 3 अगस्त, 1989 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको

इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रशासनिक अधिकरण से है, लागू होंगे।

[संख्या ए. 11019/78/87-ए.टी]

श्रीमती कृष्णा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 1989

G.S.R. 638 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 1 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby appoints the 3rd day of August, 1989, as the date on which the provisions of the Act, in so far as they relate to the Administrative Tribunal for the State of Arunachal Pradesh shall come into force.

[No. A-11019/78/87-AT]

SMT. KRISHNA SINGH, Jt. Secy.